

2014

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRAORDINARY)
OFFICE OF THE SECRETARY - CUM- DIVISIONAL COMMISSIONER,
DEPARTMENT OF REVENUE: GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
(CO-ORDINATION BRANCH)
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No.F.1(15)/DCO/2010/4264

Dated:- 15/09/2015

NOTIFICATION

No.F.1(15)/DCO/2010/4264 -In pursuance of Gazette Notification No. S.O.1694(E) dated 25th June, 2015 issued by the Registrar General Citizen Registration, India under sub-rule(4) of rule 3 of the Citizenship(Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Government of Delhi hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the state of Delhi for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken during the period from 15th October, 2015 to 14th November, 2015.

By order and in the name of the Hon'ble Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,



(A . ANBARASU)
Secretary(Revenue)-cum-
Divisional Commissioner

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
सचिव (राजस्व) एवं मंडलायुक्त कार्यालय
राजस्व विभाग : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(समन्वय शाखा)

5-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली - 110054

एफ.1(15)/ डी.सी.ओ./2010/4264

दिनांक : 15/09/2015

अधिसूचना

एफ.1(15)/ डी.सी.ओ./2010/4264 भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अन्तर्गत जारी राजपत्र आदेश संख्या एस.ओ. 1694 (ई) दिनांक 25 जून, 2015 के अनुसरण में दिल्ली सरकार एतद् द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अध्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए दिल्ली राज्य में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 15 अक्टूबर, 2015 से 14 नवम्बर, 2015 के अन्तराल में किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. आंबारासु

(ए. आंबारासु)

सचिव (राजस्व) एवं मण्डलायुक्त